

# समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित :: राजेन्द्र कुमार-IV, एच०जे०एस०, -----अध्यक्ष।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र संख्या-229/18-----वर्ष 2014-15

मैसर्स सर्जिकल पैलेस, जी०बी०मार्ग, लखनऊ।

## बनाम

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :- ( आवेदक की ओर से श्री सीताराम टंडन, अधिवक्ता )

( विपक्षी की ओर से श्रीमती मधुरिमा मित्रा, राज्य प्रतिनिधि )

## आदेश

पत्रावली पेश हुई।

यह अन्तरण प्रार्थना-पत्र सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम लखनऊ के समक्ष स्थगन आदेश के विरुद्ध लम्बित द्वितीय अपील संख्या-99/18 वर्ष 2014-15 को अन्यत्र अन्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्तरण प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि कर निर्धारण आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और अत्यधिक कर आरोपित कर दिया गया है। प्रथम अपील स्तर से 65प्रतिशत धनराशि का स्थगन प्रदान किया गया है। विवादग्रस्त कर की वसूली हेतु विभाग द्वारा सख्ती की जा रही है। वर्तमान में सदस्य पीठ-प्रथम लखनऊ रिक्त है, इस कारण स्थगन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील निस्तारित नहीं हो पा रही है। अतः उक्त अपील को अन्य पीठ में निस्तारण हेतु अन्तरित करने का निवेदन किया गया।

स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित पीठ की आख्या प्राप्त की गयी। आख्या में र्स्टे आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील लम्बित होना बताया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि पीठ प्रथम के अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। वाद त्वरित निस्तारण योग्य वादों की श्रेणी में आता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि को सुना गया।

आवेदक के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र में दर्शाये गये आधारों को ही बहस में बल दिया। स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र से समर्थित है। विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया, किन्तु आवेदक की ओर से दिये गये शपथ-पत्र के विरुद्ध कोई प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उभय पक्ष की ओर से किये गये कथनों एवं मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय हित में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम लखनऊ में स्थगन आदेश के विरुद्ध लम्बित द्वितीय अपील संख्या-99/18 वर्ष 2014-15 को अन्यत्र अन्तरित किया जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अन्तरण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। द्वितीय अपील संख्या-99/18 वर्ष 2014-15 को, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम लखनऊ से वापिस लेकर सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ को विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है।

दिनांक: 18 : मई-2018

ह०-18.5.18

( राजेन्द्र कुमार-IV)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा०क०अधि०/अपील अन्तरण / 2018 दिनांक:

:मई-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम / तृतीय, लखनऊ।

2- राज्य प्रतिनिधि, पूर्ण पीठ, लखनऊ।

3- आवेदनकर्ता।

आज्ञा से,

मुन्सरिम

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,